राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

युवक की हत्या का पर्दाफाश, हत्यारा गिरफ्तार

जयपुर, 12 जून। पुलिस उपायुक्त, जयपुर पूर्व श्री कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि दिनांक 10.06.2018 को पुलिस थाना बस्सी क्षेत्र में नईनाथ के पास खानियॉ में एक युवक की लाश मिली थी जिसकी पहचान राजेन्द्र मीणा पुत्र कानाराम मीणा, निवासी ऊगावास, बस्सी के रूप में हुई थी, जिसकी गला दबाकर हत्या कर सिर व चेहरे पर गहरी चोट कारित कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।

इस सनसनी खेज वारदात की गंभीरता के मददेनजर श्री हनुमान प्रसाद मीना, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व, जयपुर के निर्देशन में व सहायक पुलिस आयुक्त बस्सी श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी बस्सी श्री वीरेन्द्र सिंह पु.नि., श्री महेश चन्द्र उ0नि0, श्री मोहन लाल हैड कानि. 1096, कानि. श्री कमलेश 6983, रामखिलाड़ी 6957, रामकरण 4444, राजेश कुमार 9528, हरिओम 1983 थाना बस्सी की विशेष टीम का गठन किया गया।

टीम द्वारा तकनिकी सहायता से संदिग्ध कालूराम मीणा को चिन्हित कर वारदात का 48 घण्टे में हत्यारे कालूराम मीणा को दस्तयाब किया जिसने पूछताछ पर हत्या की वारदात को अंजाम देना कबूल करने पर प्रकरण में अभियुक्त कालूराम मीणा को गिरफ्तार कर अहम सफलता प्राप्त की है।

हत्या का कारण– मृतक राजेन्द्र कुमार की परिचित किसी युवती के साथ करीब एक–डेड माह पूर्व राजेन्द्र कुमार व अभियुक्त कालूराम मीणा ने शरीरिक सम्बन्ध बनाये थे। राजेन्द्र कुमार मीणा ने कालूराम मीणा की आपत्तिजनक स्थिति की वीडियो बना ली जिसे सार्वजनिक कर बदनाम करने की बात को लेकर राजेन्द्र कुमार अभियुक्त कालूराम को ब्लैकमेल कर रहा था जिससे वह टुकड़ों में कई बार पैसे ले चुका है व आये दिन शराब पीने के लिए पैसे मांगता था। अभियुक्त कालूराम ने इस से खफा होकर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया।

हत्या का तरीका– अभियुक्त कालूराम मीणा ने पूर्व नियोजित तरीके से राजेन्द्र कुमार को गणेश मोड़, नई नाथ शराब पार्टी के लिए बुलाया। राजेन्द्र कुमार पूर्व से शराब पिया हुआ था। अभियुक्त कालूराम अपनी मोटर साईकिल से राजेन्द्र कुमार को बिठाकर खानियां, नईनाथ ले गया व सड़क से थोड़ी दूरी पर पड़ी की तरफ टीले की ओट में बैठ कर शराब पी। अभियुक्त कालूराम ने शराब कम पी व राजेन्द्र कुमार को पिलाता रहा। रात्रि अंधेरा होने व राजेन्द्र कुमार के अधिक नशा शराब में होने से अभियुक्त कालूराम ने राजेन्द्र कुमार के गले के रूमाल (गमछे) को पीछे की तरफ कस कर गला भींच दिया व हाथों पर पैर रखकर पीछे बैठ गया। जब राजेन्द्र निढाल होकर पड़ गया तो उसे पीछे खाई में गिराने के लिए घींस कर ले गया और खाई के पास पटक ककर उसके चेहरे पर बीयर की बोतल को फोड़कर नुकीले हिस्से से व पत्थर से सिर पर गम्भीर चोटें कारित कर वहॉ से अन्यत्र भाग गया।

रिश्तेदार ही है हत्यारा– प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त कालूराम मीणा पुत्र श्री नरसी लाल मीणा मृतक राजेन्द्र के सगे बडे भाई कमलेश मीणा की पत्नी श्रीमती छोटी देवी की धर्म की बहिन गोविन्दी का बेटा है। अभियुक्त कालूराम मृतक राजेन्द्र को भी मौसा कहता था व आपस में शादी विवाह में एक दूसरे के कपड़े आदि देने का व्यवहार था।

अभियुक्त से अपेक्षित अनुसंधान किया जाकर कल दिनांक 13.06.2018 को न्यायालय में पेश किया जावेगा।

अभियुक्त कालूराम मीणा